

PC VI No.266  
RBE No.95/2011

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/LE1/1

New Delhi, dated : 22.06.2011.

The General Managers/FA&CAOs,  
All Zonal Railways/Production Units,  
(As per Mailing List).

**Subject : Encashment of Leave on Average Pay (LAP) while availing  
Privilege Pass/PTO - Clarification regarding.**

+ + + + +

References have been received in this office from some quarters seeking clarification as to whether Railway employees can avail encashment of leave in terms of Rule 540-A/R-I, 1985 Edition while proceeding on leave other than on LAP and Casual Leave.

2. The matter has been examined in consultation with the Department of Personnel & Training, the nodal department of the Government in the matter, and it is clarified that in order to claim encashment of LAP while availing Privilege Pass/PTO, in terms of the provisions contained in Rule 540-A/R-I, 1985 Edition and as modified/clarified from time to time, Railway employees are required to avail leave, including casual leave. Holidays, including Restricted Holidays, do not come within the ambit of the definition of leave for the aforesaid purpose.

3. Please acknowledge receipt.



(Sunil Bhardwaj)  
Deputy Director Finance (Estt.)III,  
Railway Board.

No. F(E)III/2008/LE1/1

New Delhi, dated : 22.06.2011.

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).



for Financial Commissioner/Railways

...2/-

पीसी VI सं 266  
आरबीई सं. 95/2011

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ (ई)III/2008/एलई 1/1

नई दिल्ली, दिनांक: 22.06.2011

महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,  
(डाक सूची के अनुसार).

**विषय: सुविधा पास/पीटीओ का उपयोग करते समय औसत वेतन अवकाश पर छुट्टी के नकदीकरण के बारे में स्पष्टीकरण।**

इस कार्यालय में कुछ वर्गों से प्राप्त पत्रों में यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या रेल कर्मचारी के औसत वेतन अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश से इतर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी पर जाने पर वे नियम 540-ए/आर-1, 1985 संस्करण के अनुसार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो इस मामले में सरकार का नोडल विभाग है, के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 540-ए/आर-1, 1985 संस्करण तथा इस संबंध में समय-समय पर किए गए आशोधन/दिए गए स्पष्टीकरणों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार सुविधा पास/पीटीओ का उपयोग करते समय औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण का दावा करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को छुट्टी, जिसमें आकस्मिक छुट्टी भी शामिल है, लेना अपेक्षित है। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अवकाश (Holidays), जिसमें प्रतिबंधित अवकाश भी शामिल है, 'छुट्टी' की परिभाषा की परिधि में नहीं आता है।

3. कृपया पावती दें।



(सुनील भारद्वाज)

उप निदेशक वित्त (स्थापना)III,  
रेलवे बोर्ड.